2024 का विधेयक संख्यांक 15.

[पब्लिक इग्जामिनेशन (प्रिवेंशन आफ अनफेयर मीन्स) बिल, 2024 का हिन्दी अनुवाद]

लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024

लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के निवारण और उनसे संबंधित तथा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अभ्यर्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे लोक परीक्षा में उपस्थित होने हेतु लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा अनुमति प्रदान की गई है और इसके अंतर्गत लोक परीक्षा में उसकी ओर से लेखक के रूप में कार्य करने के लिए कोई प्राधिकृत व्यक्ति भी सम्मिलित है;

(ख) "संचार युक्ति" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (जक) में उसका है; 2000 का 21

(ग) "सक्षम प्राधिकरण" से केन्द्रीय सरकार का ऐसा मंत्रालय या विभाग अभिप्रेत है जो परीक्षा प्राधिकरण के साथ प्रशासनिक रूप से संबद्ध है;

(घ) "कंप्यूटर नेटवर्क", "कंप्यूटर संसाधन", "कंप्यूटर प्रणाली" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ञ), खंड (ट) और खंड (ठ) में क्रमशः उनका है; 2000 का 21

(ङ) "लोक परीक्षा का संचालन" के अंतर्गत लोक परीक्षा का संचालन कराने हेतु अपनाई जाने वाली सभी, प्रक्रियाएं, आदेशिकाएं और क्रियाकलाप, जो विहित किए जाएं, सम्मिलित होंगे ;

(च) "संस्थान" से कोई लोक परीक्षा प्राधिकरण और ऐसे प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाता से भिन्न कोई अभिकर्ता, संगठन, निकाय, व्यक्तियों का संघ, कारबार इकाई, कंपनी, भागीदारी या एकल स्वामित्व फर्म, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि "कंपनी" के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में यथा परिभाषित कोई कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ढ) में यथा परिभाषित कोई सीमित दायित्व भागीदारी फर्म भी सम्मिलित है; 2013 का 18 2009 का 7

(छ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा;

(ज) "संगठित अपराध" से ऐसी विधिविरुद्ध गतिविधि अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी लोक परीक्षा के संबंध में अनुचित साधनों में संलिप्त होकर मिलीभगत और षड्यंत्र के अनुसरण में या सदोष अभिलाभ हेतु साझे हित को बढ़ाने के लिए कारित की जाए;

(झ) "सेवा प्रदाता से सहबद्ध व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे सेवा प्रदाता के लिए या उसकी ओर से सेवा प्रदान करे चाहे ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे सेवा प्रदाता का कोई कर्मचारी या अभिकर्ता या सहायक है;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) "लोक परीक्षा" से अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा संचालित कोई परीक्षा अभिप्रेत है;

(ठ) "लोक परीक्षा प्राधिकरण" से लोक परीक्षाओं को संचालित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ड) "लोक परीक्षा केन्द्र" से ऐसे परिसर अभिप्रेत हैं, जिनका लोक परीक्षा संचालित कराने के लिए उपयोग किए जाने हेतु सेवा प्रदाता द्वारा या अन्यथा, लोक सेवा प्राधिकरण द्वारा चयन किया जाता है और जिसके अंतर्गत अन्य के साथ कोई विद्यालय, कंप्यूटर केन्द्र, संस्था, कोई भवन या उसका कोई भाग भी सम्मिलित है और इसके अंतर्गत उसकी संपूर्ण परिधि तथा उससे संलग्न भूमि भी सम्मिलित हैं जिनका प्रयोग लोक परीक्षा के संचालन हेतु सुरक्षा और अन्य संबंधित कारणों हेतु किया जा सकेगा; और

(ढ) "सेवा प्रदाता" से कोई अभिकरण, संगठन, निकाय, व्यक्तियों का संघ, कारबार इकाई, कंपनी, भागीदारी या एकल स्वामित्व फर्म, जिसके अंतर्गत किसी कंप्यूटर संसाधन या किसी सामग्री चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, की सहायता प्रदान करने हेतु इसके सहयुक्त, उप-ठेकेदार और प्रदाता भी सम्मिलित हैं जो लोक परीक्षा के संचालन के प्रयोजन हेतु लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियोजित किए गए हैं ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उन विधियों में हैं।

अध्याय 2

अनुचित साधन और अपराध

अनुचित साधन ।

3. लोक परीक्षा के संचालन से संबंधित अनुचित साधनों में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संस्थानों द्वारा किया गया या कराए जाने वाला कोई कृत्य या लोप सम्मिलित होगा और जिसमें धनीय या सदोष अभिलाभ के लिए निम्नलिखित कृत्यों में से कोई कृत्य सम्मिलित होगा, परंतु केवल इन्हीं तक प्रतिबंधित नहीं होगा—

(i) प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी या उसके किसी भाग को प्रकट करना;

(ii) प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी को प्रकट करवाने के लिए दूसरों के साथ भागीदारी करना;

(iii) प्राधिकार के बिना प्रश्नपत्र या ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन रिस्पांस शीट तक पहुंचना या उसे अपने कब्जे में लेना;

(iv) किसी लोक परीक्षा के दौरान किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या अधिक प्रश्नों का हल प्रदान करना;

(v) लोक परीक्षा में किसी भी अनधिकृत रीति से अभ्यर्थी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना;

(vi) उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ करना, जिसमें आप्टिकल मार्क रिकग्निशन रिस्पांस शीटें भी है;

(vii) किसी वास्तविक त्रुटि को सुधारने के सिवाय, बिना किसी प्राधिकार के मूल्यांकन में परिवर्तन करना;

(viii) लोक परीक्षा को स्वयं या अपने अभिकरण के माध्यम से संचालित कराने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित मानदंडों या मानकों का जानबूझकर अतिक्रमण करना;

(ix) किसी लोक परीक्षा में अभ्यर्थियों का लघु सूचीयन करने या किसी अभ्यर्थी की मेरिट या रैंक को अंतिम रूप दिए जाने के लिए किसी आवश्यक दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करना;

(x) किसी लोक परीक्षा के संचालन में अनुचित साधनों को सुकर बनाने के लिए सुरक्षा उपायों का जानबूझकर उल्लंघन करना;

(xi) कम्प्यूटर नेटवर्क या किसी कम्प्यूटर संसाधन या कम्प्यूटर प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करना;

(xii) परीक्षा में अनुचित साधनों को अंगीकार करने को सुकर बनाने के लिए अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था, तारीखों और पालियों के आबंटन में हेर-फेर करना;

(xiii) लोक परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता या सरकार के किसी प्राधिकृत अभिकरण से संबद्ध व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता को खतरे में डालना या सदोष परिरोध करना; या लोक परीक्षा के संचालन में बाधा डालना;

(xiv) धोखा देने या धनीय लाभ के लिए जाली वेबसाइट बनाना; और

(xv) धोखा देने या धनीय लाभ के लिए जाली परीक्षा संचालित करना, जाली प्रवेश पत्र या प्रस्ताव पत्र जारी करना ।

अनुचित साधनों के लिए षड्यंत्र ।

4. कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्थाएं ऐसे किन्हीं भी अनुचित साधनों में संलिप्तता को बढ़ावा देने के लिए मिलीभगत या षड्यंत्र नहीं करेंगे।

लोक परीक्षा संचालन को भंग करना ।

5. (1) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसे लोक परीक्षा से संबंधित कोई कार्य या लोक परीक्षा को संचालित करवाने का कोई कार्य नहीं सौंपा गया है या उसमें नहीं लगाया गया है और जो अभ्यर्थी नहीं है, वह लोक परीक्षा के संचालन को भंग करने के आशय से परीक्षा केंद्र के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा ।

(2) लोक परीक्षा संचालित करवाने में अपने कर्तव्यों के आधार पर प्राधिकृत, लगा हुआ या न्यस्त कोई भी व्यक्ति, प्रश्नपत्रों को खोलने और वितरित करने के लिए नियत समय से पूर्व—

(क) धनीय या सदोष अभिलाभ के लिए अनधिकृत रीति में प्रश्नपत्रों को नहीं खोलेगा, लीक नहीं करेगा या अपने पास नहीं रखेगा या पहुंच नहीं बनाएगा या हल नहीं करेगा या ऐसे पश्नपत्र या इसके किसी भाग या इसकी प्रति को हल करने में किसी की सहायता नहीं लेगा;

(ख) किसी व्यक्ति को कोई गोपनीय सूचना नहीं देगा या ऐसी गोपनीय सूचना देने का वचन नहीं देगा, जहां ऐसी गोपनीय सूचना धनीय या सदोष अभिलाभ के लिए ऐसे प्रश्नपत्र से संबंधित या संदर्भ में हो ।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो लोक परीक्षा से संबंधित कार्य में न्यस्त हो या लगाया गया हो, सिवाय जहां उसे अपने कर्तव्यों के आधार पर ऐसा करने हेतु प्राधिकृत किया गया है, ऐसी किसी भी सूचना या उसके किसी भाग, जो उसे इस प्रकार सौंपे जा रहे कार्य के नाते उसकी जानकारी में आई है, को अनुचित लाभ या सदोष अभिलाभ के लिए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष न तो प्रकट करेगा, न ही प्रकट करना कारित करेगा और न ही इसका पता लगने देगा ।

अन्य अपराध ।

6. यदि कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह या संस्था धारा 3, धारा 4 और

धारा 5 के अधीन किन्हीं अनुचित साधनों का प्रयोग करता है या अपराध करता है, तो सेवा प्रदाता तत्काल अपराध की रिपोर्ट संबद्ध पुलिस प्राधिकारियों को करेगा तथा लोक परीक्षा प्राधिकरण को भी सूचित करेगा :

परंतु यदि सेवा प्रदाता अनुचित साधनों का सहारा लेता है और अपराध करता है या अपराध सुकर बनाने में संलिप्त होता है, तो लोक परीक्षा प्राधिकरण संबद्ध पुलिस प्राधिकारियों को भी उसकी रिपोर्ट करेगा ।

लोक परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र से भिन्न किन्हीं अन्य परिसरों का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

7. लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत परीक्षा केंद्र से भिन्न, लोक परीक्षा प्राधिकरण के लिखित अनुमोदन के बिना लोक परीक्षा आयोजित करने के प्रयोजन के लिए वैकल्पिक रूप से किसी अन्य परिसर का प्रयोग कारित करना, सेवा प्रदाता या सेवा प्रदाता से सहबद्ध किसी अन्य व्यक्ति के लिए अपराध होगा :

परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात अपराध नहीं होगी, जहां किसी अनिवार्य बाध्यता के कारण लोक परीक्षा प्राधिकरण की पूर्व सहमति के बिना परीक्षा केंद्र में कोई परिवर्तन किया जाता है ।

सेवा प्रदाताओं और अन्य व्यक्तियों के संबंध में अपराध ।

8. (1) कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत किसी सेवा प्रदाता से सहबद्ध व्यक्ति भी है, के सबंध में यह माना जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है यदि वह व्यष्टिक रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ या व्यक्तियों के समूह के साथ या संस्थाओं के साथ मिलकर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संस्थाओं की किसी लोक परीक्षा के संचालन में किसी अप्राधिकृत रीति में सहायता करता है ।

(2) सेवा प्रदाता या उसके साथ सहबद्ध किसी व्यक्ति के विषय में यह माना जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है, यदि वह किसी अनुचित साधन या किसी अपराध के करने की घटना की रिपोर्ट करने में असफल रहता है।

(3) जब कोई अपराध किसी सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है और किसी अन्वेषण के दौरान प्रथमदृष्टया यह साबित कर दिया जाता है कि वह किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या ऐसे सेवा प्रदाता के अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता के साथ किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति भी उसके विरूद्ध कार्यवाही किए जाने का दायी होगा :

परंतु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

अध्याय 3

अपराधों के लिए दंड

संज्ञेय अपराध ।

9. इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होंगे ।

इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए दंड ।

10. (1) इस अधिनियम के अधीन अनुचित साधनों और अपराधों में संलिप्त व्यक्ति ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में कारावास की अतिरिक्त अवधि भारतीय न्याय संहिता, 2023 के उपबंधों के अनुसार अधिरोपित की जाएगी :

2023 का 45

परंतु जब तक भारतीय न्याय संहिता, 2023 प्रवृत्त नहीं कर दी जाती, भारतीय दंड संहिता के उपबंध उक्त अधिनियम के स्थान पर लागू होंगे । 2023 का 45 1860 का 45

(2) सेवा प्रदाता एक करोड़ रुपए के जुर्माने के अधिरोपण से भी दंडनीय होगा और परीक्षा की समानुपातिक लागत को भी ऐसे सेवा प्रदाता से वसूल किया जाएगा और वह कोई लोक परीक्षा संचालित करने के लिए किसी उत्तरदायित्व के सौंपे जाने पर चार वर्ष की अवधि के लिए रोक दिया जाएगा ।

(3) जहां अन्वेषण के दौरान यह साबित कर दिया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सेवा प्रदाता के किसी निदेशक, ज्येष्ठ प्रबंधन या उसके भारसाधक व्यक्तियों की सहमति या मौनानुकूलता से कारित किया गया है, वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और एक करोड़ रुपए के जुर्माने का भी दायी होगा। जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में कारावास की अतिरिक्त अवधि भारतीय न्याय संहिता, 2023 के उपबंधों के अनुसार अधिरोपित की जाएगी : 2023 का 45

परंतु जब तक भारतीय न्याय संहिता, 2023 प्रवृत्त नहीं कर दी जाती, भारतीय दंड संहिता के उपबंध उक्त अधिनियम के स्थान पर लागू होंगे । 2023 का 45 1860 का 45

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को अधिनियम के अधीन किसी दंड का दायी नहीं ठहराएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना कारित किया गया था और उसने ऐसे अपराध को कारित होने से निवारित करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

संगठित अपराध ।

11. (1) यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसके अंतर्गत परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्था भी है, कोई संगठित अपराध कारित करता है तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए से कम नहीं होगा, दंडित किया जाएगा । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में कारावास की अतिरिक्त अवधि भारतीय न्याय संहिता, 2023 के उपबंधों के अनुसार अधिरोपित की जाएगी : 2023 का 45

परंतु जब तक भारत न्याय संहिता, 2023 प्रवृत्त नहीं कर दी जाती, भारतीय दंड संहिता के उपबंध उक्त अधिनियम के स्थान पर लागू होंगे । 2023 का 45 1860 का 45

(2) यदि संस्था किसी संगठित अपराध को कारित करने में अंतर्वलित पाई जाती है तो उसकी संपत्ति कुर्की और समपहरण के अधीन होगी । इसके अतिरिक्त, परीक्षा की समानुपातिक लागत भी उससे वसूल की जाएगी ।

अध्याय 4

जांच और अन्वेषण

अन्वेषण के लिए सशक्त अधिकारी ।

12. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण पुलिस उप-अधीक्षक या पुलिस सहायक आयुक्त से अन्यून पंक्ति का अधिकारी करेगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार को अन्वेषण को किसी केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण को निर्दिष्ट करने की शक्तियां होंगी ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

लोक परीक्षा प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना ।

13. लोक परीक्षा प्राधिकरण का अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को जब वह इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हैं, को भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा :

2023 का 45

परंतु जब तक भारत न्याय संहिता, 2023 प्रवृत्त नहीं कर दी जाती, भारतीय दंड संहिता के उपबंध उक्त अधिनियम के स्थान पर लागू होंगे ।

1860 का 45

किसी लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक किए गए कार्य से संरक्षण ।

14. इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी लोक सेवक के विरुद्ध नहीं होगी :

परंतु किसी लोक परीक्षा प्राधिकरण की सेवा में लोक सेवक ऐसी लोक परीक्षा प्राधिकरण के सेवा नियमों के निबंधनों में प्रशासनिक कार्रवाई के अधीन होंगे :

परंतु यह और कि कोई भी बात ऐसे लोक सेवकों के विरूद्ध कार्यवाही करने का निवारण नहीं करेगी जहां प्रथमदृष्टया इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित करने का मामला विद्यमान होता है ।

इस अधिनियम के उपबंधों का अन्य विधियों के अतिरिक्त होना ।

15. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में :

परंतु इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी लिखत जिसका विधि का बल होने के नाते प्रभाव है, में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभाव होगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

16. (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) लोक परीक्षा का संचालन करने के लिए अंगीकृत किए जाने के लिए प्रक्रियाएं, प्रोसेस, कार्यकलाप अधिकथित करना ;

(ख) कोई अन्य विषय, जो विहित किया गया है या विहित किया जाए ।

नियमों का रखा जाना ।

17. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा, किंतु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निप्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

18. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा तीन वर्ष के भीतर ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

अध्याय 6

आपराधिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1944 का संशोधन

1944 के अध्यादेश संख्यांक 38 का संशोधन ।

19. आपराधिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1944 की अनुसूची में, क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"6. लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के अधीन दंडनीय कोई अपराध"।

अनूसूची

[धारा 2(ट) देखिए]

निम्नलिखित द्वारा संचालित कोई परीक्षा,—

1. संघ लोक सेवा आयोग ।
2. कर्मचारी चयन आयोग ।
3. रेलवे भर्ती बोर्ड ।
4. बैंकिंग कर्मचारी चयन संस्थान ।
5. कर्मचारिवृन्द की भर्ती करने के लिए केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।
6. राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरण ।
7. ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सरकार ने भर्ती के साथ-साथ उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में परीक्षाओं में पारदर्शिता में वृद्धि करने के लिए अनेक सुधार लागू किए हैं । इनमें, अन्य बातों के साथ, स्व-सत्यापन ; परीक्षा चक्र को छोटा करना (18-22 मास से 6-10 मास तक); समूह 'ग' और समूह 'घ' भर्ती में साक्षात्कारों को समाप्त करना ; कम्प्यूटर आधारित परीक्षाएं आरंभ करना और डिजिटल साधनों के माध्यम से 'रोजगार मेला' के अधीन नियुक्ति पत्र जारी करना, सम्मिलित हैं ।

2. लोक परीक्षाओं में अनाचार के परिणामस्वरूप परीक्षाओं में विलंब और उनके रद्द किए जाने से लाखों युवाओं के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । केन्द्रीय सरकार और उसके अभिकरणों द्वारा संचालित की जाने वाली लोक परीक्षाओं में सम्मिलित विभिन्न इकाइयों द्वारा अपनाए जाने वाले अनुचित साधनों या कारित किए जाने वाले अपराधों से निपटने के लिए वर्तमान में कोई विशिष्ट सारवान विधि नहीं है । इसलिए, यह संभावित है कि ऐसे तत्वों की, जो परीक्षा प्रणाली की दुर्बलताओं का फायदा उठाते हैं, की पहचान जाए और उनसे एक समग्र केन्द्रीय विधान द्वारा प्रभावी रूप से निपटा जाए ।

3. विधेयक का उद्देश्य लोक परीक्षा प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और साख बनाना तथा युवाओं को यह आश्वासन प्रदान करना है कि उनके ईमानदार और वास्तविक प्रयासों का उचित प्रतिफल मिलेगा और उनका भविष्य सुरक्षित है । विधेयक का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों, संगठित समूहों या संस्थाओं को प्रभावी रूप से विधिपूर्वक रोकना है जो अनेक अनुचित साधनों में संलिप्त रहते हैं और धन संबंधी या सदोष अभिलाभों के लिए लोक परीक्षा प्रणालियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं । विधेयक में यथा परिभाषित अभ्यर्थी, विधेयक के कार्यक्षेत्र के भीतर कार्रवाई के लिए दायी नहीं होगा और संबद्ध लोक परीक्षा प्राधिकरण के विद्यमान प्रशासनिक उपबंधों के अधीन बना रहेगा ।

4. विधेयक, राज्यों द्वारा उनके विवेक पर अंगीकार किए जाने के लिए एक आदर्श प्रारूप के रूप में कार्य करेगा । यह राज्यों को आपराधिक तत्वों को राज्य स्तरीय लोक परीक्षाओं के संचालन में व्यवधान उत्पन्न करने से निवारित करने में सहायता करेगा ।

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
29 जनवरी, 2024

डा. जितेन्द्र सिंह

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 2 विधेयक में प्रयुक्त परिभाषाओं का उपबंध करता है । खंड 2 के उपखंड (1) की मद (ङ) "लोक परीक्षा संचालन" पद की परिभाषा का उपबंध करती है जो केन्द्रीय सरकार को लोक परीक्षा संचालित करने में अपनाई जाने वाली क्रियाविधियों, प्रक्रियाओं, और कार्यकलापों को विहित करने के लिए सशक्त करती है ।

2. वे विषय जिनकी बाबत विधेयक के उपबंधों के अनुसार नियम बनाए जा सकते हैं, प्रक्रिया और ब्यौरे के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है ।

3. अतः, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।